



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 Faridabad, Haryana
 Education, Culture and Urbanisation

 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

 लक्ष्य ही सफलता है।
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Tilpat (Faridabad) [1009]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Tilpat (Faridabad) [1009]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
	कुल राशि	200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

सूचना क्र. 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृश्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी फरीदाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, बल्लबगढ़ ///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 की0 एण्ड जी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Principal GSSS Dheen (Ambala) [19]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय मार्डनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dheen (Ambala) [19]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00

कुल राशि

200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ/मुलाना / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Principal GSSS Sanghan (Kaithal) [2293]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Sanghan (Kaithal) [2293]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
	कुल राशि	200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी कैथल
- 4 उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढाण्ड/राजौन्द / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Khadri (Yamuna Nagar) [279]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Khadri (Yamuna Nagar) [279]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
	कुल राशि	200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

वह स्वयं मद शीष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर।
- 3 जिला खजाना अधिकारी जगाधरी
- 4 उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/10/2005 5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Principal GSSS Dongra Ahir (Mahendergarh) [3871]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dongra Ahir (Mahendergarh) [3871]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
	कुल राशि	200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहरताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़।
- 3 जिला खजाना अधिकारी नारनौल
- 4 उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS Mohidinpur (Karnal) [1887]

Principal GSSS Bhadson (Karnal) [1777]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Mohidinpur (Karnal) [1887]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
2 GSSS Bhadson (Karnal) [1777]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
कुल राशि		400000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वाारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावडी // /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS Datauli (Sonipat) [3548]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Datauli (Sonipat) [3548]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
कुल राशि		200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नाम अनुसार एस0एस0ए के जोई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भावेष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

- 80000

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत।
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ताबान

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 नमो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Principal GSSS Gudiakhera (Sirsa) [2908]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Gudiakhera (Sirsa) [2908]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
	कुल राशि	200000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 055-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा।
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलावली / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Head Master GHS Mukhand (Jind) [1741]

Head Master GHS Khatkar (Jind) [1714]

Principal GGSSS Khatkar (Jind) [1715]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष आकेत काय हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Mukhand (Jind) [1741]	repair /maintance/ Whitewash	200000.00
2 GHS Khatkar (Jind) [1714]	repair /maintance/ Whitewash	100000.00
3 GGSSS Khatkar (Jind) [1715]	repair /maintance/ Whitewash	100000.00
कुल राशि		400000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भेजे

एक प्रती अनुषंग प्रशि खर्च करणे का कष्ट करे।

6. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृश्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
2. अतिरिक्त उपायुक्त जीद।
3. निम्न गवर्नरना अधिकारी नीचे
4. गण शक्ताना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेडा//
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा10 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
6. महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
7. महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
9. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education



विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Head Master GGHS Anwal (Rohtak) [2735]
 Principal GSSS Anwal (Rohtak) [2797]
 Principal GGSSS Nindana (Rohtak) [2798]
 Principal GSSS Nindana (Rohtak) [2669]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)
 दिनांक पंचकुला 23/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Anwal (Rohtak) [2735]	repair /maintance/ Whitewash	100000.00
2 GSSS Anwal (Rohtak) [2797]	repair /maintance/ Whitewash	100000.00
3 GGSSS Nindana (Rohtak) [2798]	repair /maintance/ Whitewash	100000.00
4 GSSS Nindana (Rohtak) [2669]	repair /maintance/ Whitewash	100000.00
कुल राशि		400000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि का अनुमान लोक निर्माण विभाग के नाम अनुसार एस0एस0ए के जे0ई0/एस0डी0ओ0 से रिपेयर/ रखरखाव/सफेदी हेतु तैयार करवा कर भज तथा नार्म अनुसार राशि खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 23.07.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक।
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।